न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-03, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी — ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 24.03.2026
सेशन प्रकरण संख्याः 04/26
सी.आई.एस नंबर 207/16
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या -20/11 थाना उद्योग नगर
अंतर्गत धारा -147, 365, 368, 382, 395, 411 भा.दं.सं.
अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
उपस्थितः-अभियोजन अधिकारी ।
-श्री अजीत यादव, अभियोजन अधिकारी ।

बनाम

अभियुक्तगणः-

1. जमशेद उर्फ खिड्डी पुत्र हमीद खां निवासी मुसेपुर थाना कांमा जिला भरतपुर **[मफरूर]**
2. मोहन सिंह उर्फ बाबाजी उर्फ बतोली पुत्र मदन सिंह निवासी कनवाडी थाना कांमा जिला भरतपुर **[कार्यवाही ड्रॉप आदेशिका दिनांक 28.09.2021 द्वारा]**
3. मानसिंह पुत्र नेतराम निवासी अकबरपुर थाना कांमा जिला भरतपुर **[मफरूर]**
4. सद्दाम पुत्र टुण्डल निवासी रीठट थाना नगीना जिला नूंह मेवात हरियाणा **[मफरूर]**
5. फरीद पुत्र दीनू निवासी नंगला मुकारिब दोलाबास थाना कांमा भरतपुर **[मफरूर]**
6. साकिर उर्फ चुग्गा पुत्र दीना उर्फ जीवना उर्फ आसर निवासी बिलग थाना कांमा जिला भरतपुर **[मफरूर]**
7. **शमशेर उर्फ पददा** पुत्र नसरू उर्फ पन्नी निवासी दौलाबास थाना कामा जिला भरतपुर
8. **मैनू उर्फ फकरूदीन** पुत्र कपूरा निवासी नंगला मुकारिब दौलाबास

थाना कामा जिला भरतपुर
9.**अहमद उर्फ कौद** पुत्र टुण्डल निवासी रीठट थाना नगीना जिला नूंह मेवात हरियाणा

उपस्थितः-श्री मौहम्मद फारूख खान, आसिफ अली अधिवक्ता ।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	09.01.2011
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	10.01.2011
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	06.09.2012, 06.04.2016
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	19.06.2017 मुलजिम मैनू उर्फ फकरूदीन, शमशेर 12.07.2017 मुलजिम अहमद
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	19.04.2023
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	24.03.2026
निर्णय की तिथि	24.03.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि [यदि हो तो]	निल

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क.अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी डब्ल्यू 1	श्रवण	औपचारिक गवाह
पी डब्ल्यू 2	राजेन्द्र	शिकायतकर्ता
पी डब्ल्यू 3	फूलसिंह	औपचारिक गवाह
पी डब्ल्यू 4	कोठारी	औपचारिक गवाह
पी डब्ल्यू 5	कासम खां	औपचारिक गवाह
पी डब्ल्यू 6	विश्राम सिंह	औपचारिक गवाह
पी डब्ल्यू 7	ब्रहमानंद	औपचारिक गवाह

पी डब्ल्यू 8	देवेन्द्र कुमार	औपचारिक गवाह
पी डब्ल्यू 9	सुरेन्द्र सिंह पुत्र फूलसिंह	फर्द जब्ती नक्शा मौका
पी डब्ल्यू 10	सुरेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह	फर्द गिरफतारी
पी डब्ल्यू 11	ओमप्रकाश	फर्द गिरफतारी नक्शा मौका
पी डब्ल्यू 12	जयदयाल	औपचारिक गवाह
पी डब्ल्यू 13	विरेन्द्र सिंह	डयूटी ऑफिसर
पी डब्ल्यू 14	रामकिशोर	फर्द गिरफतारी, नक्शा मौका
पी डब्ल्यू 15	कमलादीन	औपचारिक गवाह
पी डब्ल्यू 16	अनुराग हरित	कार्यवाही शिनाख्तगी
पी डब्ल्यू 17	सुभाष चंद	हालात तफतीश
पी डब्ल्यू 18	श्रीचंद सिंह	औपचारिक गवाह
पी डब्ल्यू 19	सुरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र नत्थूराम	चार्जशीट
पी डब्ल्यू 20	सज्जन सिंह	हालात तफतीश

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

-अभियोजन /बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

क.अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी 1
2	चाक एफ.आई.आर	प्रदर्श पी 2
3	नक्शा मौका	प्रदर्श पी 3

4	नक्शा मौका	प्रदर्श पी 4
5	फर्द शिनाख्तगी मुलजिम जमशेद	प्रदर्श पी 5
6	फर्द शिनाख्तगी मुलजिम साकिर उर्फ चुग्गा	प्रदर्श पी 6
	फर्द जब्ती ट्रेक्टर	प्रदर्श पी 6
7	फर्द शिनाख्तगी मुलजिम शमशेर	प्रदर्श पी 7
	फर्द गिरफतारी एवं जमा तलाशी मुलजिम साकिर उर्फ चुग्गा	प्रदर्श पी 7
8	कार्यवाही शिनाख्तगी मुलजिम अहमद कौद	प्रदर्श पी 8
9	कार्यवाही शिनाख्तगी मुलजिम मैनू उर्फ फकरूदीन	प्रदर्श पी 9
10	फर्द गिरफतारी मुलजिम जमशेद उर्फ खिड्डी	प्रदर्श पी 10
	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम शमशेर उर्फ पददा	प्रदर्श पी 10
11	फर्द गिरफतारी मुलजिम मोहन सिंह	प्रदर्श पी 11
12	फर्द गिरफतारी मुलजिम मानसिंह	प्रदर्श पी 12
13	नक्शा मौका	प्रदर्श पी 13
14	फर्द जब्ती मोबाईल	प्रदर्श पी 14
15	फर्द जब्ती मोबाईल	प्रदर्श पी 15
16	फर्द जब्ती मोबाईल	प्रदर्श पी 16
17	फर्द जब्ती एवं बरामदगी ट्रेक्टर की ट्रोली	प्रदर्श पी 17
18	फर्द बरामदगी स्थल	प्रदर्श पी 18

19	फर्द गिरफतारी एवं जमा तलाशी मुलजिम शमशेर उर्फ पददा	प्रदर्श पी 19
20	फर्द गिरफतारी मुलजिम मैनू उर्फ फकरूदीन	प्रदर्श पी 20
21	नक्शा मौका	प्रदर्श पी 21
22	फर्द गिरफतारी एवं जमा तलाशी अहमद उर्फ कौद	प्रदर्श पी 22
	नक्शा मौका	प्रदर्श पी 23
	फर्द गिरफतारी एवं जमा तलाशी सद्दाम	प्रदर्श पी 24
	नक्शा मौका	प्रदर्श पी 25
	मालखाना रजिस्टर की प्रति	प्रदर्श पी 26
	पत्र तहसीलदार अलवर क्रमांक 1798 दिनांक 16.02.2016	प्रदर्श पी 27
	पत्र तहसीदार अलवर क्रमांक 1807 दिनांक 22.02.2016	प्रदर्श पी 28
	फर्द ईत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम सद्दाम	प्रदर्श पी 29
	फर्द ईत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम मैनू उर्फ फकरूदीन	प्रदर्श पी 30

नोट-उक्त प्रदर्श सूची में से केवल मुलजिमान शमशेर, मैनू उर्फ फकरूदीन, अहमद उर्फ कौद की हद तक ही उक्त प्रदर्शों पर आगे विचारण किया जाएगा ।

क.बचाव

क्रम संख्या	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**प्रदर्श डी. संख्या**
1	बयान 161 सीआरपीसी गवाह राजेन्द्र	प्रदर्श डी 1

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक: 24.03.2026</u>**

01. यह सेशन प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय से **अभियुक्तगण मोहन सिंह, मानसिंह, शमशेर उर्फ पद्दा, अहमद उर्फ कौद, सद्दाम, मैनू उर्फ फकरूदीन, जमशेद, चुग्गा उर्फ साकिर, फरीद** के विरूद्ध अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ । **प्रकरण में अभियुक्त मोहन सिंह की मृत्यु हो जाने से आदेशिका दिनांक 28.09.2021 द्वारा उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी। प्रकरण में अभियुक्तगण मानसिंह, सद्दाम, जमशेद, चुग्गा उर्फ साकिर, फरीद मफरूर हैं।**

प्रकरण् में अभियुक्तगण शमशेर उर्फ पददा, अहमद उर्फ कौद, मैनू उर्फ फकरूदीन की हद तक ही विचारण किया जा रहा है।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी राजेन्द्र ने थाना उद्योग नगर में रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक 09.01.2011 को रात 10.30 बजे के आसपास वह उसका ट्रैक्टर नंबर आर.जे 02 आर.ए 4409 फार्म ट्रक 45 ट्रोली सहित अलवर अपने गांव आते समय में पालना मोड पर एक गाडी मैक्स पीछे से आयी और उसके ट्रेक्टर के आगे लगाकर गाडी में से सात-आठ आदमी आये और उसको सिर पर से जबरदस्ती हाथ पकडकर नीचे खींच लिया और गाडी के पीछे औंदे मुंह गिरा दिया । और उसका मुंह बांध दिया और उसको मालाखेडा से लक्षमणगढ रोड पर श्यामगंगा नदी के पास एक तिबारा में पटक गये । उसने किसी तरह से अपने हाथ खोलकर पास में श्यामगंगा गांव में गया और पुलिस को सूचना दी और वह आपस में राजू व रामू लेकर बोल रहे थे । तथा उसकी जेब में से पांच हजार रूपये और मोबाईल सेट ले गये । अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया .....इत्यादि ।

03. उक्त रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 20/11 अंतर्गत धारा 143, 365, 382 भा.दं.सं. में दर्ज किया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । अभियुक्त शमशेर उर्फ पद्दा के विरूद्ध दिनांक 06.09.12 को तितम्बा चार्जशीट पेश की गयी । अभियुक्त के विरूद्ध धारा 365, 368, 382, 411 भा.दं.सं.में प्रसंज्ञान लिया गया । अभियुक्तगण मैनू उर्फ फकरूदीन व अहमद उर्फ कौद के विरूद्ध तितम्बा चार्जशीट दिनांक 06.04.2016 को पेश की गयी । अभियुक्तगण मैनू उर्फ फकरूदीन व अहमद उर्फ कौद के विरूद्ध धारा 365, 368, 395, 143 भा.दं.सं. के तहत प्रसंज्ञान लिया गया । सक्षम न्यायालय द्वारा

अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय, अलवर को उपार्पित किया गया जहां से प्रकरण वास्ते निस्तारणार्थ इस न्यायालय को अंतरित किया गया ।

04. बहस आरोप सुनी जाकर **अभियुक्त शमशेर** को अपराध अंतर्गत धारा **147, 365, 368, 382, 395, 411 भा.दं.सं. तथा अभियुक्तगण मैनू उर्फ फकरूदीन , अहमद को** अपराध अंतर्गत धारा **147, 365, 368, 382, 395 भा.दं.सं.** के आरोप से आरोपित किया गया तो अभियुक्गण ने सुन समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही । दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया ।

05. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लिये गये । जिसमें अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा ।

06. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 09.01.2011 को रात को लगभग 10.30 बजे पालका मोड पर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित किया तथा जब परिवादी राजेन्द्र अपने ट्रेक्टर नंबर आर.जे 02 आर.ए 4409 को लेकर जा रहा था तो मैक्स गाडी में आकर गुप्त रीति से परिवादी राजेन्द्र को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित करने के उद्देश्य से उसका अपहरण किया, उसको सदोष छिपाया या परिरोध में रखा ?

2. क्या अभियुक्तगण ने परिवादी राजेन्द्र की मृत्यु कारित करने या उसे उपहति कारित करने या उसका अवरोध कारित करने या मृत्यु उपहति या अवरोध करने का भय कारित करने की तैयारी के पश्चात उसके साथ मारपीट कर उसका ट्रेक्टर नंबर आर.जे 02 आर.ए 4409 मय ट्रोली व उसके पांच हजार रूपये तथा मोबाईल आदि की चोरी की?

3. क्या अभियुक्तगण ने परिवादी राजेन्द्र के साथ मारपीट कर उससे उसका ट्रेक्टर नंबर आर.जे 02 आर.ए 4409 मय ट्रोली व उसके पांच हजार रूपये तथा

मोबाईल आदि ले जाकर डकैती कारित की ?
4. क्या अभियुक्त शमशेर ने ट्रेक्टर नंबर आर.जे 02 आर.ए 4409 या ट्रोली ट्रेक्टर या मोबाईल व सिम इत्यादि को यह जानते हुए बेईमानीपूर्वक प्राप्त किया कि उक्त चोरी का सामान है?

यदि हाँ तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

07. इस संबंध में दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन कहानी की ताईद होती है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं । अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जाए ।

08. इसके विपरीत अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि एफ.आई.आर में अभियुक्तगण का कोई नाम नहीं है तथा अभियुक्तगण की पहचान पुलिस के द्वारा करवायी गयी है, परन्तु पूर्व में ही अभियुक्तगणों को थाने में दिखा दिया गया था । इस प्रकार परिवादी ने अभियुक्तगणों को पूर्व में ही देख लिया इसलिए उसके द्वारा अभियुक्तगणों की सही पहचान की गयी है। तथा अभियुक्तगण अहमद व मैनू उर्फ फकरूदीन से कोई बरामदगी नहीं हुयी है। और अभियुक्त शमशेर से भी जो ट्रेक्टर ट्रोली जब्त करना बताया है वह खुले स्थान पर जंगल से बरामद की गयी है। गवाहों ने अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है। और अन्य गवाहों के द्वारा विरोधाभासी साक्ष्य दी गयी है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाए ।

09. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण में **गवाह पी डब्ल्यू 2 परिवादी राजेन्द्र** है। उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीरी रिपोर्ट में कहे कथनों की पुष्टि में कथन करता है और उल्लेख करता है कि उसके पास एक ट्रैक्टर मय ट्रोली आर जे 02 आर ए 4409 फोर्ड ट्रैक्टर 45 मॉडल 2007 था। दिनांक 09.01.2011 की बात है वह अलवर से काम कराकर ट्रैक्टर को लेकर गांव जा रहा था, तो रात को करीब 10.15 बजे पालका मोड के पास पहुंचा, तो पीछे से एक सफेद रंग की मैक्स गाडी आई, जिस गाडी को उसके ट्रैक्टर के आगे लगा दिया। गाडी में 8-10 आदमी थे, जिनमें से 3-4 आदमी उतरे और उसे ट्रैक्टर से जबरन उतार दिया और उसके हाथ, पैर व मुंह बांधकर अपनी गाडी में पटक

दिया। रात को करीब एक बजे श्यामगंगा नदी के पास ले जाकर पटक दिया। उसके करीब 5500/-रूपये व नोकिया मोबाईल नंबर 9829194520 भी निकाल लिया था। वह अपने हाथ, पैर खोलकर भागकर एक कुम्हार के घर पहुंचा। उनको उसने जाकर सारी घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने उसके रिश्तेदारों को फोन किया तथा थाने में भी फोन किया। ये लोग उसके ट्रैक्टर को लूटकर ले गये और उसे पटक दिया।

10. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि इस घटना की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 उसने थाना एमआईए में दर्ज कराई थी, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटनास्थल पर आई थी, तथा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 उसकी निशादेही से बनाया था, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का द्वितीय नक्शा मौका पुलिस ने प्रदर्श पी 4 उसकी निशादेही से बनाया था, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे जेल में लेकर गये थे, जहां पर उससे मुल्जिमान की पहचान कराई गई थी। मुलजिम जमशेद उर्फ खिडडी को उसने पहचाना था। फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम साकिर उर्फ चुग्गा को भी उसने पहचाना था। फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी 6 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम शमशेर उर्फ पडडा को उसने पहचाना था। फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी 7 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम अहमद तथा सददाम को उसने पहचाना था। फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम मेनू उर्फ फकरूददीन को उसने पहचाना था। फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी 9 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. जिरह में उक्त गवाह पर्याप्त रूप से विरोधाभासी कथन करता है और यह उल्लेख करता है कि उसने अपनी रिपोर्ट में अभियुक्तगण के हुलिया, कद, काठी, रंग-रूप, कपडे आदि बाबत नहीं बताया । और उसके साथ घटना रात्रि में अचानक घटित हुयी थी इसलिए वह अभियुक्तगण को नहीं देख पाया था । इस प्रकार उक्त गवाह घटना के समय अभियुक्तगण को नहीं देख पाया और बाद में शिनाख्तगी से पूर्व उसके द्वारा अभियुक्तगण को जेल में देखा गया था । जिसकी पुष्टि उक्त गवाह

ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से की है। जब पुलिस अभियुक्तगण को पकड कर लायी तब उसने अभियुक्तगण को देखा था। और उसके बाद उसने जेल में भी अभियुक्तगण को देखा था। और अभियुक्तगण को बापर्दा गिरफ्तार नहीं किया गया था ।

13. इससे यह स्पष्ट है कि पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण को पूर्व से ही परिवादी को दिखा दिया गया था । जिस कारण उसके द्वारा जेल में अभियुक्तगण की ठीक रूप से पहचान की गयी । अभियुक्त शमशेर की शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी 7, अभियुक्त अहमद की प्रदर्श पी 8, व अभियुक्त मैनू उर्फ फकरूदीन की शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी 9 है। तीनों अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही में परिवादी ने तीनों अभियुक्तगण की सही पहचान की है। परन्तु सही पहचान करने का कारण परिवादी ने अपनी जिरह में यह स्पष्ट किया है कि उसने पुलिस में पहले से ही अभियुक्तगण को देख लिया था और वक्त घटना अभियुक्तगण को नहीं देखा था ।

14. इस प्रकार पुलिस के द्वारा जो शिनाख्तगी कार्यवाही अभियुक्तगण की करवायी गयी है वह उचित प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि पुलिस के द्वारा परिवादी को अभियुक्तगण को पहले ही दिखा दिया था । इस प्रकार उक्त गवाह अभियुक्तगण की पहचान के बाबत पूर्ण रूप से विरोधाभासी कथन करता है और तीनों ही अभियुक्तगण ने उसकी ट्रेक्टर ट्रोली को लूटा हो इस संबंध में भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं देता है।

15. **गवाह पी डबल्यू 16 अनुराग हरित** तहसीलदार है। जिसने शिनाख्तगी कार्यवाही की है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 25.01.16 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार अलवर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मु.सं. 20/11 अंतर्गत धारा 365, 368, 382, 411 आईपीसी पुलिस थाना एमआईए में अभियुक्त अहमद व सद्दाम की कार्यवाही शिनाख्तगी जिला कारागृह परिसर अलवर में की गई थी। गवाह राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गिल्लूराम द्वारा दोनो आरोपियों की हाथ लगाकर सही पहचान की गई थी जो शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी गवाह राजेन्द्र, सी से डी व ई से एफ मुलजिमान, जी से एच उसके हस्ताक्षर है, आई से जे कारापाल केन्द्रीय कारागृह अलवर के हस्ताक्षर है जिसकी पुश्त पर भी ए से बी गवाह राजेन्द्र, सी से डी व ई से एफ मुलजिमान, जी से एच उसके, आई से जे कारापाल केन्द्रीय कारागृह

अलवर के हस्ताक्षर है। दिनांक 16.02.16 को उसके द्वारा कार्यालय के पत्रांक 1798 दिनांक 16.02.16 को कार्यवाही शिनाख्तगी रिपोर्ट माननीय न्यायालय ए.डी.जे संख्या 2 अलवर को अग्रेषित की गई जो प्रदर्श पी 27 है । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

16. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि वह दिनांक 19.02.16 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार अलवर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मु.सं. 20/11 अंतर्गत धारा 365, 368, 395, 411 आईपीसी पुलिस थाना एमआईए में अभियुक्त मैनू उर्फ फकरूदीन की कार्यवाही शिनाख्तगी जिला कारागृह परिसर अलवर में की गई थी। गवाह राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गिल्लूराम द्वारा आरोपी की हाथ लगाकर सही पहचान की गई थी जो शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी गवाह राजेन्द्र, सी से डी मुलजिम, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, जी से एच कारापाल केन्द्रीय कारागृह अलवर के हस्ताक्षर है जिसकी पुश्त पर भी ए से बी गवाह राजेन्द्र, सी से डी मुलजिम, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, जी से एच कारापाल केन्द्रीय कारागृह अलवर के हस्ताक्षर है। दिनांक 22.02.16 को उसके द्वारा कार्यालय के पत्रांक 1807 दिनांक 22.02.16 को कार्यवाही शिनाख्तगी रिपोर्ट माननीय न्यायालय ए.डी.जे संख्या 2 अलवर को अग्रेषित की गई जो प्रदर्श पी 28 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

17. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि अभियुक्तगण को जेल में दाखिल कराने के बाद उनकी पहचान करवायी गयी थी । इस प्रकार उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्ष व जिरह में अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही करवाने के संबंध में पुष्टि करता है।

18. **गवाह पी डब्ल्यू 1 श्रवण** है। उक्त गवाह वह व्यक्ति है जिसे सर्वप्रथम परिवादी राजेन्द्र मिला था । उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में राजेन्द्र के कहे अनुसार कथन करता है और उल्लेख करता है कि उसका मकान मालाखेडा से लक्ष्मणगढ मेन रोड पर है। करीब 10-11 साल पहले की बात है। करीब रात के 12 बजे की बात है, वह छप्पर के तिबारे में सो रहा था। एक लडका आया, आकर रोने लगा, फिर उसने उससे पूछा, तो उसने बताया वह अलवर से इूंमला अपने गांव ट्रैक्टर से आ रहा था, तो एमआईए के पास कुछ लोगों ने उसके ट्रैक्टर के आगे गाडी लगा दी, और उसे ट्रैक्टर से नीचे उतार दिया और उसका ट्रैक्टर को छीनकर ले गये, और उसे गाडी में पटककर ले आये और श्याम गंगा के पास बाबा जी की

कुटीर के पास पटक दिया, उसके हाथ भी बांध दिये थे। उसने बताया कि वह अपने हाथ बडी मुश्किल से अपने मुंह से खोलकर आपके पास आया है। उसने बताया कि जो लोग उसका ट्रेक्टर छीनकर ले गये, वह उन्हें सामने आने पर पहचान सकता है फिर उसने उसके रिश्तेदारों को फोन किया तथा थाने में भी फोन किया।

19. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि उसे मुलजिमान के बारे में जानकारी नहीं है और ना ही उसने कोई घटना देखी थी । तो उक्त गवाह के द्वारा पूर्व में भी कहीं कोई तथ्य नहीं कहे गये हैं कि उसने परिवादी के साथ कोई घटना घटित होते हुए नहीं देखी । परन्तु परिवादी के साथ घटना होने के बाद सर्वप्रथम परिवादी उससे मिला और उसके फोन से उसने फोन आदि किया जिसकी पुष्टि उक्त गवाह के द्वारा की गयी है।

20. **गवाह पी डब्ल्यू 3 फूलसिंह, पी डब्ल्यू 4 कोठारी** है। उक्त गवाह नक्शे मौके के गवाह हैं । उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि दिनांक 10.01.2011 को पुलिस ने पालका मोड व श्याम गंगा का नक्शा मौका क्रमशः प्रदर्श पी 3 व पी 4 उनकी मौजूदगी में बनाया था । जिस पर क्रमशः ई से एफ तथा जी से एच गवाह फूलसिंह के तथा ए से बी, सी से डी स्थानो पर गवाह कोठारी के हस्ताक्षर हैं।

21. जिरह में उक्त दोनों गवाह विरोधाभासी कथन करते हैं और उल्लेख करते हैं कि पुलिस ने खाली कागजों पर उनके हस्ताक्षर करवाये थे । इस प्रकार उक्त दोनों गवाह नक्शे की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं करते हैं।

22. **गवाह पी डब्ल्यू 5 कासम खां** है। जो अभियुक्तगण मैनू उर्फ फकरूदीन, शमशेर, अहमदउर्फ कौद से संबंधित नहीं होने के कारण इसकी साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा रहा है।

23. **गवाह पी डब्ल्यू 6 विश्राम सिंह** परिवादी का भाई है और अनुश्रुत गवाह है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में परिवादी के कथनों के कहेअनुसार ही कथन करता है। तथा उल्लेख करता है कि दिनांक 09.11.2011 की रात को उसके भाई के ट्रैक्टर नंबर आर जे 02 आर ए 4409 फार्मट्रैक 45 पालका मोड से 6-7 अज्ञात लोगों ने बोलेरो गाडी आगे लगाकर उसके भाई से ट्रैक्टर मय ट्रोली छीनकर ले

गये। ट्रैक्टर की ट्रोली में एक डायरी रखी थी, जिसमें उसके नंबर लिखे हुये थे। उसके भाई का मोबाईल भी वो लोग छीनकर ले गये। दूसरे दिन शाम को 2 अलग अलग नंबरों से फोन आया और कहा कि ट्रैक्टर उन्होंने लूटा है, 1,20,000/-रूपये लेकर कांमा आ जाओ, तुमको ट्रैक्टर दे देंगे। अगले दिन उसका भाई कामां गया, जमशेद नाम के लडके का उसके भाई के पास फोन आया और फिरौती के एक लाख रूपये मांगे। 2-3 बजे जमशेद गांव से बाहर मिल गया। उसने ट्रैक्टर की पहचान बताकर बताया कि उसने ट्रैक्टर को जंगल में छिपाकर रखा है। तुमने रूपये नहीं दिये, तो ट्रैक्टर को आगे बेच देंगे। यह बात उसने पुलिस को बताई थी।

24. जिरह में उक्त गवाह इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करता है और स्पष्ट उल्लेख करता है कि फिरौती के बाबत बातचीत हुयी थी, परन्तु उन्होंने फिरौती नहीं दी और पुलिस को सूचना दे दी थी और वह अभियुक्तगण को नहीं पहचान सकता है और उसने घटना नहीं देखी थी । उक्त गवाह एक अनुश्रुत गवाह होकर परिवादी के कहेअनुसार कथन करता है।

25. **गवाह पी डब्ल्यू 7 ब्रह्मानंद, पी डब्ल्यू 8 देवेन्द्र कुमार** अभियुक्तगण मैनू उर्फ फकरूदीन, शमशेर, अहमद उर्फ कौद से संबंधित नहीं होने के कारण इसकी साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा रहा है।

26. **गवाह पी डबलयू 9 सुरेन्द्र सिंह पुत्र फूलसिंह** ट्रोली की जब्ती का गवाह है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 21.06.2012 को थाना एमआईए में कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुलजिम शमशेर उर्फ पददा पुत्र नसरू उर्फ पम्मी की निशांदेही से एक ट्रैक्टर की ट्रोली पुरानी इस्तेमाली वजह सबूत जब्त कर फर्द जब्ती उसके व जयसिंह हैड कानि0 की मौजूदगी में बनाई जो प्रदर्श पी 17 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन आईओ साहब ने उसके व जयसिंह हैड कानि0 की मौजूदगी मे मुलजिम की मौजूदगी में बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 18 बनाया जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

27. जिरह में भी उक्त गवाह यह उल्लेख करता है कि जब ट्रोली की बरामदगी की गयी थी तब परिवादी उसके साथ नहीं था । तथा ट्रोली की जब्ती के लिए वह, जयसिंह हेड कांस्टेबल आदि साथ गये थे । तथा बरामदगी वाली जगह में खेत

था । जिसमें ढांचा पडा हुआ था और उक्त ढांचे के नीचे ट्रोली को छिपाया हुआ था और वह एक जंगल था । इस प्रकार उक्त गवाह अपनी जिरह में यह स्वीकार करता है कि जिस स्थान से ट्रोली को जब्त किया गया उक्त स्थान जंगल में एक खेत था । परन्तु खेत के संबंध में कोई दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाये गये है।

28. इस संबंध में अभियुक्त शमशेर के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि पुलिस के द्वारा जंगल खुले स्थान से ट्रोली को जब्त किया गया और गलत तरीके से उक्त ट्रोली अभियुक्त शमशेर से जब्त करना बताया । तो अभियुक्त अधिवक्ता का उक्त तर्क इस हद तक उचित प्रतीत होता है क्योंकि पुलिस के द्वारा ट्रेक्टर की ट्रोली की जब्ती एक जंगल में खेत से करना बताया है। परन्तु जंगल में जो खेत बताया गया है उक्त खेत के स्वामित्व के कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाये गये है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त शमशेर ने परिवादी की ट्रेक्टर ट्रोली लूटने के बाद उक्त ट्रोली को अपने खेत पर ले जाकर छिपाया हो । तथा जंगल में किस स्थान पर अभियुक्त शमशेर का खेत है इस संबंध में ना तो आसपास के किसी व्यक्ति की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गयी है और ना ही कोई स्वामित्व के दस्तावेजात उपलब्ध करवाये हैं। और उक्त स्थान की कोई फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध नहीं करवायी जिससे यह स्पष्ट हो सके कि खेत में किसी प्रकार का कोई ढांचा हो जिसके नीचे ट्रोली को आसानी से छिपाया जा सके । और जहां से अन्य कोई व्यक्ति ट्रेक्टर ट्रोली नहीं ले जा सके ।

29. घटना दिनांक 09.01.2011 की है और अभियुक्त से जो ट्रोली जब्त की गयी है वह दिनांक 21.06.2012 को लगभग डेढ वर्ष बाद जब्त की गयी है और डेढ वर्ष तक उक्त ट्रोली वहीं खुले जंगल में पडी रही हो और किसी अन्य व्यक्ति ने उसे वहां से नहीं हटाया हो यह भी संभव प्रतीत नहीं हाता है। इस प्रकार अभियुक्त शमशेर से जो ट्रोली की जब्ती बतायी गयी है उसको अभियोजन पक्ष अपनी किसी भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर पाया है।

30. **गवाह पी डब्ल्यू 10 सुरेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह** है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 11.06.2012 को थाना एमआईए में कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन आईओ साहब ने मु0 नं0 20/11 धारा 365,368,382,411 आईपीसी में मुलजिम शमशेर उर्फ पददा पुत्र नसरू उर्फ पम्मी को जुर्म से आगाह कर जर्ये हिरासत जेसी सब जेल डीग भरतपुर से प्रोडक्शन

वारंट पर न्यायालय के आदेश से बापर्दा उसके व नरेश कानि0 की मौजूदगी में गिरफतार किया था फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 19 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

31. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दिनांक 14.02.2016 को मु0 नं0 20/11 धारा 365,368,382,411 आईपीसी में मुलजिम मेनू उर्फ फकरूदीन पुत्र कपूरा को जुर्म से आगाह कर उसके व नरेश कानि0 की मौजूदगी में गिरफतार किया था । फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम की जमा तलाशी कानि0 नरेश द्वारा ली गई जिसमें पहने हुए कपडों के अलावा कुछ नहीं मिला। दिनांक 15.02.2016 को आई.ओ ने उसके व नरेश कानि0 की मौजूदगी में मुलजिम की दफा 27 की इतलानुसार मुलजिम की निशांदेही से घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका कसीद किया। जो प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है अगले पृष्ठ पर हालात नक्शा मौका अंकित है।

32. जिरह में उक्त गवाह यह कथन करता है कि अभियुक्तगण के द्वारा उनके सामने पुलिस को धारा 27 की सूचना नहीं दी गयी और उनको कारागृह से गिरफ्तार किया गया था । इस प्रकार उक्त गवाह दोनों अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में कथन करता है।

33. **गवाह पी डब्ल्यू 11 ओमप्रकाश है । उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा व जिरह केवल अभियुक्त अहमद उर्फ कौद की हद तक ही पढी जा रही है। अभियुक्त सद्दाम प्रकरण में मफरूर है। अतः अभियुक्त सद्दाम की हद तक उक्त गवाह की साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा रहा है। केवल अभियुक्त अहमद उर्फ कौद की हद तक ही उक्त गवाह की साक्ष्य का विवेचन किया जा रहा है।**

34. गवाह पी डब्ल्यू 11 ओमप्रकाश मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 18.01.2016 को थाना एमआईए में कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन आईओ साहब ने मु0 नं0 20/11 धारा 365,368,382,411 आईपीसी में मुलजिम अहमद पुत्र टुण्डल को न्यायिक आदेश से प्रोडक्शन वारंट से जेल किशनगढबास अलवर से जुर्म से आगाह कर उसके व जगदीश प्रसाद की मौजूदगी में बापर्दा गिरफतार किया था । जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 22 है जिस

पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम अहमद की दफा 27 की इतलानुसार आगे आगे चलकर घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका उसके व जगदीश प्रसाद की मौजूदगी में तस्दीक कराया और वारदात से अवगत कराया। जो तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अगले पृष्ठ पर हालात नक्शा मौका अंकित है ।

35. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि अभियुक्त अहमद को कारागृह से गिरफ्तार किया गया था । इस प्रकार उक्त गवाह भी अभियुक्त अहमद की गिरफ्तारी के संबंध में कथन करता है।

36. **गवाह पी डब्ल्यू 12 जयदयाल** मालखाने का गवाह है। उकत गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 21.06.2012 को थाना एमआईए में मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन आईओ साहब ने मु0 नं0 20/11 धारा 365,368,382,411 आईपीसी में जब्तशुदा माल एक ट्रैक्टर ट्रोली रंग नीला पुरानी इस्तेमाली मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करने हेतु दी थी। उसके द्वारा उक्त माल मालखाना रजि0 के मद नं0 812 में दर्ज किया गया। मालखाना रजिस्टर के इंद्राज के अनुसार दिनांक 25.06.2012 को न्यायालय के आदेश की पालना में उक्त ट्रोली विश्राम पुत्र लल्लूराम को सुपुर्द कर दी गयी जो प्रदर्श पी 26 है जिस पर ए से बी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। जिनके हस्ताक्षर वह उनके अधीनस्थ कार्य करने के कारण पहचानता है।

37. जिरह में उक्त गवाह यह कथन करता है कि अनुसंधान अधिकारी के द्वारा ट्रोली मालखाने में जमा करवायी थी । और ट्रोली कहां से लेकर आये इस बाबत उसे जानकारी नहीं है।

38. इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि ट्रेाली को कहां से जब्त किया गया इस संबंध में गवाह को कोई जानकारी नहीं है। तो अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मालखाने वाले व्यक्ति का कार्य अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिये गये माल को मालखाने में जमा करना होता है ना कि यह जानकारी रखना कि कौनसा माल कहां व कब किसके द्वारा बरामद किया गया । इस प्रकार उक्त गवाह ट्रोली को मालखाने में जमा करने के बाबत कथन करता है।

39. **गवाह पी डब्ल्यू 13 वीरेन्द्र** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 10.01.2011 को थाना एमआईए में आईसी थाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन परिवादी राजेन्द्र चौधरी पुत्र गिल्लूराम निवासी दूमेडा थाना एमआईए ने एक तहरीरी रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की जिस पर उसके द्वारा उक्त तहरीर पर मु0 नं0 20/2011 धारा 143, 365, 382 आईपीसी में कायम कर तफतीश सज्जन सिंह एएसआई के जिम्मे की। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी परिवादी राजेन्द्र के सी से डी उसके हस्ताक्षर ई से एफ उसके द्वारा अंकित कार्यवाही पुलिस है व कार्यवाही पुलिस बाद पर भी ए से बी परिवादी राजेन्द्र के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है। जिस पर ए से बी परिवादी के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

40. जिरह में भी उक्त गवाह यह कथन करता है कि उसके द्वारा केवल एफ.आई.आर दर्ज की गयी थी । उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया ं और पत्रावली पर एफ.आई.आर प्रदर्श पी 2 उपलब्ध है। जिसकी दर्ज होने की पुष्टि गवाह पी डब्ल्यू 13 वीरेन्द्र द्वारा की गयी है।

41. **गवाह पी डब्ल्यू 14 रामकिशोर, पी डब्ल्यू 15 कमालदीन** अभियुक्तगण सद्दाम, जमशेद, मानसिंह, साकिर से संबंधित हैं अतः इनकी साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा रहा है।

42. **गवाह पी डब्ल्यू 18 श्रीचंद** तीनों अभियुक्तगण शमशेर, मैनू उर्फ फकरूदीन, अहमद उर्फ कौद से संबंधित नहीं है। अतः इसकी साक्ष्य नहीं पढी जा रही है।

43. **गवाह पी डब्ल्यू 19 सुरेन्द्र पुत्र नत्थूराम** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 18.03.2013 को थाना एमआईए पर थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन श्री सुभाष यादव एएसआई द्वारा 173(8) में लंबित प्रकरण संख्या 20/2011 में बाद अनुसंधान मुलजिमान अहमद उर्फ कौद, सद्दाम, मैनु उर्फ फकरूदीन, फरीद पुत्र दीनु के विरूद्ध धारा 365,368, 395, 143 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर उसके समक्ष पेश की। बाद अवलोकन पत्रावली उक्त प्रकरण में उसके द्वारा अहमद उर्फ कौद, सद्दाम, मैनु उर्फ फकरूदीन के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में संपूर्ण तितम्बा चार्जशीट व फरीद पुत्र दीनु के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में धारा 299 सीआरपीसी में अनुसंधान को लंबित रखते हुए तितम्बा चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की गई जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी

उसके हस्ताक्षर है।

44. जिरह में भी उक्त गवाह यह कथन करता है कि उसके द्वारा किसी भी गवाह के कोई तितम्बा बयान नहीं लिये गये और उसके द्वारा केवल मात्र तितम्बा चार्जशीट पेश की गयी थी । इस प्रकार उक्त गवाह अभियुक्तगण अहमद उर्फ कौद, व मैनू उर्फ फकरूदीन के विरूद्ध चार्जशीट पेश करने के संबंध में स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है।

45. **गवाह पी डब्ल्यू 20 सज्जन सिंह** है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 10.01.2011 को वह थाना एमआईए पर एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन आईसी थाना ने प्रदर्श पी-1 एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान उसके नाम किया था। जिस तहरीर के आधार पर चाक एफआईआर संख्या 20/2011 दर्ज हुई जो प्रदर्श पी-02 है जिस पर ए से बी परिवादी व सी से डी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान नक्शा मौका घटनास्थल प्रथम (मोंटो मोटर्स) प्रदर्श पी-03 मुर्तिब किया। दूसरे पृष्ठ पर हालात मौका अंकित किया। जिसकी पुश्त पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाहन के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन घटनास्थल द्वितीय मालाखेडा लक्ष्मणगढ रोड मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी-04 है जिस पर ए से बी, सी से डी, जी से एच गवाहन के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

46. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि अभियुक्तगण की क्रमशः शिनाख्तगी कार्यवाही करवायी जो प्रदर्श पी-05 जमशेद , प्रदर्श पी-06 साकिर , प्रदर्श पी-07 शमशेर है। मुलजिम साकिर उर्फ चुग्गा की फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी-07 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन के, ई से एफ उसके व एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी अंकित है। आरोपियान की क्रमशः फर्द बापर्दा गिरफतारी मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी-10 जमशेद उर्फ खुडडी, पी-11 मोहन सिंह उर्फ बाबाजी, पी-12 मानसिंह है। तत्पश्चात नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी-13 मुलजिमान साकिर उर्फ चुग्गा की निशादेही पर मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी-13 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन के, ई से एफ उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुलजिम की निशानी अंगूठा है।

47. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम जमशेद उर्फ खडडी के कब्जे से बतौर वजह सबूत एक मोबाईल फोन मय सिम बैटरी के जब्त किया जो प्रदर्श

पी-14 है जिस पर ए से बी, ई से एफ, जी से एच मुलजिमान के हस्ताक्षर है, सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम मोहन सिंह के कब्जे से एक मोबाईल मय सिम प्रदर्श पी-15 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन, ई से एफ उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है। मुलजिम मानसिंह के कब्जे से जब्त एक मोबाईल मय सिम प्रदर्श पी-16 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

48. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम मोहनसिंह उर्फ बतौली की निशादेही से मुकदमा हाजा का माल मशरूका एक ट्रेक्टर आरजे 02 आरए 4409 को जरिए फर्द बरामदगी व जब्ती के जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। जो प्रदर्श पी-06 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन, ई से एफ उसके व एक्स स्थान पर निशानी अंगूठा है। मुलजिम शमशेर उर्फ पददा को जरिए फर्द प्रदर्श पी-19 गिरफतार किया गया। जिस पर ए से बी उसके, सी से डी मुलजिम शमशेर, ई से एफ व जी से एच गवाहन के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात मुलजिम शमशेर उर्फ पददा के द्वारा दी गई स्वेच्छा सूचना को मुर्तिब किया गया जो प्रदर्श पी-10 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी आरोपी के हस्ताक्षर है।

49. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम शमशेर उर्फ पददा की निशादेही से मुकदमा हाजा का माल मशरूका ट्रेक्टर ट्रोली को जरिए फर्द प्रदर्श पी-17 बरामद कर जरिए फर्द कब्जा पुलिस ली गई जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अभियुक्त, ई से एफ, जी से एच गवाहन के हस्ताक्षर है। जिस पर आई से जे मुस्तगीस द्वारा अपनी लूटी गई ट्रोली की शिनाख्तगी का नोट है व के से एल मुस्तगीस के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात नक्शा मौका बरामदगी स्थल ट्रेक्टर ट्राली का मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी-18 है । जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अभियुक्त, ई से एफ, जी से एच गवाहन के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपी जमशेद, मोहन सिंह, मान सिंह, शमशेर, फरीद उर्फ साहिब, उस्मान, मैनू व मुस्ताक, चुग्गा उर्फ साकिर, अहमद उफ कौद, सददाम तथा अब्बू के विरूद्ध धारा 365, 368, 382, 411 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ के सुपुर्द कर दी थी।

50. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि तत्कालीन एसएचओ ने मुलजिम जमशेद उर्फ खिडडी, मोहन सिंह उर्फ बाबाजी, मान सिंह के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र 103/11 पेश न्यायालय में करते शेष मुलजिमान के विरूद्ध धारा

173(8) सीआरपीसी में अभियोग हाजा को जैर तफतीश रखा गया। तदुपरांत आरोपी साकिर उर्फ चुग्गा को गिरफतार कर बाद अनुसंधान दिनांक 16.04.2012 को तितंबा चार्जशीट पेश न्यायालय की गई। शेष मुलजिमान के विरूद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी में अभियोग हाजा को जैर तफतीश रखा गया। तदुपरांत शेष आरोपियान में से शमशेर उर्फ पददा को गिरफतार कर अनुसंधान कर तितंबा चार्जशीट उपरोक्त धाराओं में पेश न्यायालय की गई एवं शेष मुलजिमान के विरूद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी में अभियोग हाजा को जैर तफतीश रखा गया। शमशेर के विरूद्ध उसके द्वारा तितम्बा चार्जशीट पेश की गई थी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

51. जिरह में उक्त गवाह विरोधाभासी कथन करता है और उल्लेख करता है कि अभियुक्त ट्रोली को कहीं बेचने जा रहा हो तो उसे इस बाबत जानकारी नहीं है। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया हो तो भी उसे जानकारी नहीं है। और उसके द्वारा ट्रोली की कोई शिनाख्तगी नहीं करवायी गयी । परन्तु परिवादी की पूछताछ में बरामदगी में ट्रोली की पहचान के बाबत तथ्य अंकित हैं। बरामदशुदा ट्रोली परिवादी की नहीं रही हो इस संबंध में कोई विवाद भी नहीं है। परन्तु उक्त ट्रोली अभियुक्त शमशेर से जब्त की हो इस संबंध में उक्त गवाह ने कोई स्पष्ट साक्ष्य भी नहीं देता है और तीनों ही अभियुक्तगण ने परिवादी राजेन्द्र को लूटा हो और उसका अपहरण करके ले गये हो इस संबंध में उक्त गवाह कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं देता है।

नोट-उक्त गवाह पी डब्ल्यू 20 सज्जन सिंह द्वारा अन्य अभियुक्तगण से संबंधित साक्ष्य भी दी है । परन्तु उक्त गवाह की साक्ष्य का केवल अभियुक्तगण मैनू उर्फ फकरूदीन, शमशेर, अहमद उर्फ कौद की हद तक ही विवेचन किया गया है ।

52. **गवाह पी डबल्यू 17 सुभाष चंद** द्वितीय अनुसंधान अधिकारी है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह 2016 में थाना एमआईए पर ए.एस.आई के पद पर पदस्थापित था। मु.सं. 20/11 थाना उधोग नगर का 173(8) सीआरपीसी में पैडिंग अनुसंधान एस.एच.ओ साहब ने उसे सुपुर्द किया था। उसके द्वारा मुकदमा में आरोपी अहमद उर्फ कोद पुत्र टुण्डन निवासी रीठठ थाना नगीना जिला नूंह जो जेल किशनगढबास में पहले से किसी अन्य मुकदमे में बंद था, न्यायालय श्रीमान से आदेश प्राप्त कर मुलजिम को मुकदमा में अनुसंधान हेतु जेल

किशनगढबास से प्राप्त कर बाद अनुसंधान दिनांक 18.01.16 को बापर्दा गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 22 है । जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम, जी से एच उसके हस्ताक्षर है व मुलजिम सददाम पुत्र टुण्डल निवासी रीठठ को किशनगढबास जेल से न्यायालय के आदेश प्राप्त कर बाद अनुसंधान दिनांक 19.01.16 को बापर्दा गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 24 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। आरोपी मैनू उर्फ फकरूदीन को न्यायालय श्रीमान से आदेश प्राप्त कर मुलजिम को मुकदमा में अनुसंधान हेतु जेल भरतपुर से प्राप्त कर बाद अनुसंधान दिनांक 14.02.16 को बापर्दा गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम, जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

53. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उक्त मुलजिमान की इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम पृथक पृथक प्राप्त की गई जो इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम क्रमशः प्रदर्श पी 29, प्रदर्श पी 30 है जिन पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक मुलजिमान द्वारा घटनास्थल की तस्दीक कराने पर तस्दीक मौका पृथक-पृथक तैयार किया गया। घटनास्थल तस्दीक मौका क्रमशः प्रदर्श पी 21, पी 23 व पी 25 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिमान सददाम व अहमद उर्फ कोद की जेल अलवर में दिनांक 25.01.16 को व मुलजिम मैनू उर्फ फकरूदीन की दिनांक 19.02.16 को कार्यवाही शिनाख्तगी जेल अलवर में श्रीमान तहसीलदार अलवर के समक्ष गवाह राजेन्द्र से कराई गई थी।

54. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि कार्यवाही शिनाख्तगी की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। उसके द्वारा उक्त तीनों आरोपियो के विरूद्व अंतर्गत धारा 365, 368, 395, 143 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली नतीजा हेतु एसएचओ के समक्ष पेश की थी। एसएचओ सुरेन्द्र सिंह द्वारा तितम्बा चार्जशीट दिनांक 18.03.16 को उक्त धाराओं में किता कर माननीय न्यायालय में पेश की गई थी व मुलजिम फरीदर के विरूद्व 299 सीआरपीसी में चालान पेश किया था।

55. जिरह में उक्त गवाह केवल मात्र यह कथन करता है कि उसने अभियुक्त

अहमद व मैनू उर्फ फकरूदीन को भरतपुर जेल से प्रोडक्शन वारण्ट से लिया था और मुलजिम के कहेअनुसार नक्शा मौका तस्दीक कराया गया था । इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा भी अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई जब्ती आदि नहीं की गयी है। और केवल गिरफ्तारी आदि के संबंध में कथन करता है।

56. पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी व अन्य गवाहों की साक्ष्य से यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि तीनों अभियुक्तगण ने परिवादी राजेन्द्र के साथ रात के समय कोई लूट की घटना कारित की हो और उसका अपहरण करके ले गये हो । तीनों अभियुक्तगण की यद्यपि शिनाख्तगी परेड की सही पहचान की गयी है, परन्तु तीनों अभियुक्तगण को पुलिस ने परिवादी को पहले से ही दिखा दिया था इसलिए उक्त शिनाख्तगी की वैधता समाप्त हो जाती है और अभियुक्त शमशेर ने ट्रोली को अभियुक्तगण से चोरी की जानते हुए क्रय किया हो इस संबंध में किसी भी गवाह ने कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं दी है और बरामदगी भी उचित तरीके से साबित नहीं की गयी है।

57. अतः **अभियुक्त शमशेर** अपराध अंतर्गत **धारा 147, 365, 368, 382, 395, 411 भा.दं.सं.** तथा **अभियुक्गण मैनू उर्फ फकरूदीन, अहमद उर्फ कौद** अपराध अंतर्गत धारा **147, 365, 368, 382, 395 भा.दं.सं.** के तहत साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

58. अतः **अभियुक्तगण 1.** शमशेर उर्फ पददा पुत्र नसरू उर्फ पन्नी निवासी दौलाबास थाना कामा जिला भरतपुर को अपराध अंतर्गत **धारा 147, 365, 368, 382, 395, 411 भा.दं.सं. तथा अभियुक्तगण 2.** मैनू उर्फ फकरूदीन पुत्र कपूरा निवासी नंगला मुकारिब दौलाबास थाना कामां जिला भरतपुर **3.** अहमद उर्फ कौद पुत्र टुण्डल निवासी रीठट थाना नगीना जिला नूंह मेवात हरियाणा को अपराध अंतर्गत **धारा 147, 365, 368, 382, 395 भा.दं.सं.** के तहत **साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त** किया जाता है।

59. अभियुक्तगण की उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

60. **प्रकरण में अभियुक्तगण मानसिंह, सद्दाम उर्फ टुण्डल, जमशेद, साकिर उर्फ चुग्गा, फरीद मफरूर हैं तथा अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण शेष है । अतः पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर इस आशय का लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण शेष है। अतः पत्रावली का कोई भाग/माल वजह सबूत नष्ट नहीं किया जावे।**

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

61. निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3 अलवर